



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO/ 2786584-Dir./ FAX: 0291 – 2788706



F. No. 11(4)2017-18/Admn. IV/

Dated the 17th March, 2018

ऑवला फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

इस संस्थान (काजरी), जोधपुर के विभिन्न बगीचों में विभिन्न किस्मों के ऑवला के लगभग 250 पेड़ हैं। ऑवला फल तुड़ाई हेतु माह नवम्बर 2018 से फरवरी 2019 के दौरान उपलब्ध होंगे। नीलामी के अन्तर्गत ऑवला पेड़ों के रख-रखाव संबंधी फील्ड कार्य जैसे – सिंचाई, खाद और फर्टीलाइजर देना, निराई, गुड़ाई इत्यादि सम्मिलित हैं संबंधित ठेकेदार/पार्टी को स्वयं ही अपने खर्च पर जो कि ऑवला पेड़ों पर लगाने वाले फूलों के समय से आरम्भ होकर ऑवला फल लगाने तथा इनकी तुड़ाई होने तक की अवधि तक ठेकेदार/पार्टी को जिसके पक्ष में फलों की नीलामी स्वीकृत होगी, निर्देशानुसार पूरे करने होंगे यद्यपि खाद, फर्टीलाइजर पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी संस्थान द्वारा आपूर्ति की जाएगी। ऑवला फलों की नीलामी अवधि माह अप्रैल 2018 से 15 मार्च, 2019 तक वैद्य रहेगी। उक्त ऑवला फलों की नीलामी हेतु इच्छुक ठेकेदारों/पार्टियों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रस्तुति की अन्तिम दिनांक 28.03.2018 समय दोपहर 2.00 बजे तक रखी गई है। इच्छुक निविदादाता कार्यालय समय के दौरान स्वयं उपस्थित होकर ऑवला के पेड़ों का अवलोकन कर सकते हैं तथा अपनी निविदा निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं अथवा निविदा डाक/कोरियर द्वारा भेज सकते हैं। अन्तिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार/विचाराधीन नहीं की जाएगी। नीलामी से संबंधित विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : यह निविदा सूचना राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण तथा
दैनिक भास्कर के जोधपुर संस्करण दिनांक 18.03.2018 को प्रकाशित है।



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO/ 2786584-Dir./ mail:aaostoreadmiv@gmail.com



F. No. 11(4)2017-18/Admn. IV/

Dated the 17th March, 2018

ऑवला फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 28.03.2018 समय दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : 28.03.2018 समय दोपहर 2.30 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा कर्ता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अनु.प.–के०शु०क्षे०अ०सं० (काजरी),
जोधपुर । (राज०) 342003

सेवा में

मैसर्स/ श्रीमान् -----

विषय:- के०शु०क्षे०अ०सं०, (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में ऑवला के फलों की ऋतु वर्ष 2018-19 के लिए नीलामी हेतु निविदा ।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प.–के०शु०क्षे०अ०सं०, (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में ऑवला के फलों की नीलामी ऋतु वर्ष 2018-19 के लिए मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें सलंगन अनुसार हैं ।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में दिनांक 28.03.2018 समय दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा पहुँच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

भवदीय

सलंगन : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार)
वास्ते निदेशक

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	ऑवला पेड़ों की संख्या
1.	इस संस्थान (काजरी), जोधपुर के विभिन्न बगीचों में विभिन्न किस्मों के ऑवला के लगभग 250 पेड़ हैं । ऑवला फल तुड़ाई हेतु माह नवम्बर 2018 से फरवरी 2019 के दौरान उपलब्ध होंगे । नीलामी के अन्तर्गत ऑवला पेड़ों के रख-रखाव संबंधी फील्ड कार्य जैसे – सिंचाई, खाद और फर्टीलाइजर देना, निराई, गुड़ाई इत्यादि सम्मिलित हैं संबंधित ठेकेदार/पार्टी को स्वयं ही अपने खर्च पर जो कि ऑवला पेड़ों पर लगने वाले फूलों के समय से आरम्भ होकर ऑवला फल लगने तथा इनकी तुड़ाई होने तक की अवधि तक ठेकेदार/पार्टी को जिसके पक्ष में फलों की नीलामी स्वीकृत होगी, निर्देशानुसार पूरे करने होंगे यद्यपि खाद, फर्टीलाइजर पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी संस्थान द्वारा आपूर्ति की जाएगी । ऑवला फलों की नीलामी अवधि माह अप्रैल 2018 से 15 मार्च, 2019 तक वैध रहेगी ।	लगभग 250 पेड़.

ऑवला फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें -

- धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रुपये 5000.00 ICAR Unit- CAZRI Jodhpur के नाम राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
- सरकार द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. (if applicable) ऑवला के फलों की नीलामी में सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता ठेकेदार / फर्म को अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
- इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त ऑवला के पेड़ों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
- निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **ऑवला फलों की नीलामी के लिए निविदा** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन दोपहर 2.30 बजे संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी ।
- सफल या उच्चतम निविदा दाता/पार्टी को नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले संबंधित फील्ड कार्य कार्यालय समय में इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में अथवा निर्देशानुसार किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलों की तुड़वाई ठेका अवधि के दौरान ही पेड़ों के बगैर नुकसान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है ।
- ऑवला की नीलामी में पारित अधिकतम राशि 01 नवम्बर, 2018 से पूर्व जमा करानी होगी ।
- ठेकेदार को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी ।
- अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
- ऑवला फलों की नीलामी के सफलतम अधिकतम स्वीकृत दर निविदा दाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
- निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
- निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है । नियम व शर्तों की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in से डाउन लोड की जा सकती है ।
- ऑवला पेड़ों को दी जाने वाली खाद, फर्टीलाइजर, पेस्टीसाइड तथा सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी ।
- नीलामी की अन्य शर्तें नियमानुसार लागू होंगी तथा अन्य संबंधित फील्ड कार्य प्रभारी अधिकारी, वानिकी/Dr. P.R. Meghwal, Principal Scientist (Hort.) के निर्देशानुसार करने होंगे ।
- प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।

- नीलामी की स्वीकृत शर्तों में से किसी भी शर्त का सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा नीलामी कार्यावधि के दौरान उल्लंघन किये जाने अथवा कोई शिकायत पाये जाने पर निदेशक को नीलामी/ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा और उस ठेकेदार/फर्म द्वारा इस संस्थान में इस नीलामी से संबंधित जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।

16. ऑवला फलों की नीलामी के स्वीकृत ठेकेदार/फर्म अथवा उसके मजदूरों द्वारा ऑवला के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
17. ऑवला फल नीलामी की स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्कुरिटी राशि (ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तों की अनुपालना व ऑवला फल ऋतु की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
18. ऑवला पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा तथा फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे ।
19. नीलामी छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार निदेशक, के०शु०क्षे०अ०सं०, जोधपुर को होगा ।
20. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले ऑवला पेड़ों के रखरखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यों में बाल श्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा ।
21. इस संस्थान को अनुसन्धान व अन्य प्रयोजनार्थ निर्धारित 50 किलो ग्राम ऑवला के चयनित वेरायटी के अच्छे फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी ।
22. इस नीलामी में ऑवला फल तौड़ने की अवधि नीलामी की दिनांक से अप्रैल 2018 से 15 मार्च, 2019 तक वैध रहेगी अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

ठेके की अन्य शर्तें एवं नियम –

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. ऑवला फलों की नीलामी संबंधी निविदा हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 5000/-अमानत राशि नकद या ड्राफ्ट द्वारा जो कि ICAR UNIT- CAZRI JODHPUR के नाम देय हो संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें । पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।
6. ऑवला फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. ऑवला पेड़ों के बगीचों में पेड़ों के रख रखाव संबंधी फील्ड कार्यों तथा फल तौड़ने इत्यादि कार्यों , कार्यावधि के दौरान करते समय ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प. – के० शु० क्षे० अ० सं० (काजरी) का होगा ।
10. ऑवला फलों संबंधी नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को ऑवला पेड़ों के रख-रखाव तथा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ऑवला फलों संबंधी नीलामी के नियम व शर्तों की अनुपालना तथा ऑवला फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
11. ऑवला फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय-समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. नीलामी के अन्तर्गत किये जाने वाले ऑवला पेड़ों के रखरखाव तथा फल तुड़ाई संबंधी फील्ड श्रमिक कार्यों में बाल श्रमिकों को काम में नहीं लगाया जाएगा ।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
15. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक